न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 243–II/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–2005 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 751–III/2005

श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी आनन्द बहादुर सिंह

निवासी ग्राम गोदहा, पोस्ट बीडा, तहसील सिरमौर,

वर्तमान तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) ....आवेदिका

विरूद्ध

तीरथ कौल तनय श्री बालक कौल

निवासी ग्राम ऐलहा तहसील सिरमौर, वर्तमान

तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) ....अनावेदक

(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3 अगस्त, 2016 को पारित)

यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 751–III/2005 निगरानी में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2005 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिा 1959 (जिसे आगे संहिता कॅहा जाएगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम गोहदा की आराजी कमांक 132/11 रकवा 10.00 एकड़ भूमि के सम्बंध में अनावेदक तीरथ कौल ने कलेक्टर रीवा के समक्ष

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को आवेदिका ने अपने नाम नामान्तरण करा लिया गया है। इस पर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कराई गई और जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.7.2000 में यह उल्लेख किया कि प्रकरण में तत्कालीन नायब तहसीलदार सर्किल शाहपुर के प्र0क0 7/अ–74/95–96 में आदेश दिनांक 4–3–97 द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 24 वर्ष 67–68 आदेश दिनांक 28–3–72 की इत्तलायावी आदेश दिये गये है। कलेक्टर रीवा के द्वारा उक्त प्रकरण मंगाकर प्र0क0 18/अ–74/निग./2000–01 दर्ज कर आदेश दिनांक 19–5–2003 पारित कर नामांतरण निरस्त किया गया। कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी करने पर प्र0क0 191/निग./02–03 में पारित अदेश दिनांक 29–4–2005 द्वारा आवेदिका की निगरानी अमान्य की गई। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में निगरानी कमांक 751–।।।/05 पेश की गई जो तत्कालीन सदस्य द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 29–12–2005 द्वारा निरस्त की गई है। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि विवादित भूमि की भूमिस्वामी आवेदिका है अनावेदक ने अपनी निजी जरूरत हेतु उक्त भूमि दिनांक 7–6–1956 को रूपयें 5000/– में जरिये अपंजीकृत विकय विलेख आवेदिका के ससुर हरप्रसाद सिंह को विकय कर मौके पर कब्जा दिया गया बाद में अपने ससुर हरप्रसाद से आपसी विभाजन में प्राप्त कर आवेदिका का स्वत्व व आधिपत्य होकर नामांतरण स्वीकार किया गया।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार ने नामांतरण पंजी क 24 आदेश दिनांक 28–3–72 को नामान्तरण आदेश पारित किया है। उक्त नामान्तरण में अनावेदक ने अपनी सहमति के रूप में निशानी अगूंठा लगाकर स्वंय आवेदिका के हक में नामान्तरण कराया है इस कारण धारा 165 (6) प्रावधान इस पर लागू नंही होते है। कलेक्टर रीवा ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विकय विलेख व अन्य दस्तावेजो का

अवलोकन किये बगैर आवेदिका के नामान्तरण को 31 वर्षो वाद विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर निरस्त किया गया है, अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 2007 आर0 एन0 251 (उच्च न्यायालय) का हवाला देते हुए उनके द्वारा इस न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं कलेक्टर व आयुक्त रीवा के निर्णय को निरस्त करने एंव नायव तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा जाकर, पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक को सूचना जारी की गई लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में ग्राम गोहदा की आराजी कमांक 132/11 रकवा 10.00 एकड़ भूमि अनावेदक ने अपनी निजी आवश्यकता हेतु दिनांक 7–6–1956 को रूपयें 5000/– में जरिये अपंजीकृत विकय विलेख (प्रदर्श पी–1) आवेदिका के ससुर हरप्रसाद सिंह को विकय कर मौके पर कब्जा दिया गया बाद में अपने ससुर हरप्रसाद से आपसी विभाजन में उक्त भूमि आवेदिका को प्राप्त हुई तत्पश्चात उक्त भूमि पर नायव तहसीलदार द्वारा आवेदिका के पक्ष में नामांतरण किया जाकर इत्तलायावी आदेश दिये गये है। नायव तहसीलदार के आदेश को कलेक्टर रीवा द्वारा 31 वर्षो वाद अनावेदक के आवेदन पर से मात्र अनुविभागीय अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20–7–2000 के आधार पर स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किये बगैर पुनरीक्षण में निरस्त किया गया है। उक्त आदेश को आयुक्त रीवा एंव राजस्व मण्डल द्वारा अनदेखा किया गया, इस कारण इस प्रकरण में पुर्नविलोकन के पर्याप्त आधार है।

6– अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि वर्ष 7–6–1956 को विकय कर दी गई थी उक्त विकय टीप प्रदर्श पी–1 पर अभिलेख पर है। आवेदिका द्वारा कलेक्टर रीवा के समक्ष उक्त दस्तावेज पेश किया गया था परन्तु कलेक्टर द्वारा उसे अनदेखा किया जाकर, आदेश पारित किया गया है। अनावेदक

द्वारा अपनी सहमति के रूप में निशानी अगूंठा लगाकर स्वंय आवेदिका के हक में नामान्तरण कराया गया है। अनावेदक द्वारा अपनी सहमति व नामान्तरण आदेश को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इस कारण कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नहीं है, जिसे आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकार कलेक्टर, आयुक्त एवं राजस्व मण्डल का आदेश न्यायिक, विधिसम्मत एंव औचित्यपूर्ण न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29–12–2005, आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2005, कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–2003 निरस्त किये जाते है एवं नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 7/अ–74/95–96 आदेश दिनांक 4–3–1997 द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 24 वर्ष 67–78 आदेश दिनांक 28–3–1972 यथावत रखा जाकर, पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह अभिलेख दुरूस्त करावें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर